रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर, 27, 1995/पौष 6, 1917
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1995/PAUSA 6, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 1995

संख्या ओ-17012/6/94-सी एफ स.—भारत सरकार ने 17 जून, 1905 को अपनी अधिसूचना संख्या ओ-17011/5/82-जी ओ पी तथा 12-11-1990 की अधिसूचना संख्या ओ-17011/2/89-सी एफ एस द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 1-4-95 से 31-3-90 तथा 1-4-90 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए पंचम चरण के रूप में जारी रखना अधिसूचित किया था, ताकि उसमें विनिर्दिष्ट उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाएं घटे मार्जिन पर बैंकिंग अभिकरणों से कार्यकर पूंजी के लिए ऋण प्राप्त कर सकें।

2. उपभोक्ता सहकारी समितियों की बैंकिंग संस्थानों से 10% से घटे हुए मार्जिन पर कार्यकर पूंजी की मांग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1-4-1990 से 31-3-1995 तक 5 वर्ष की और अवधि के लिए चलाने का निर्णय किया है।

3. सब सहाकरी संस्थाएं जो कार्यसाधक के लिए वित्तीय संस्थाओं से इस योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहें, उनको 1% की प्रतिवर्ष की दर से गारंटी फीस देय होगी।

4. उपर्युक्त विनिश्चय के अनुसरण में, भारत सरकार, उपबंध-1 में दिए गए प्रत्याभूति विलेख प्ररूप में, किसी भी शीर्षक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जत तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित और कार्य कर रहे किसी भी बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1995 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959) में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक के साथ उनके द्वारा निम्नलिखित को दिए गए प्रतिभूति अग्रिम धनों की बाबत करार करने पर विचार करेगी, अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ

(2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के सभी राज्य परिसंघ ।

(3) सभी थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां।

(4) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तरीय सहकारी परिसंघ, परन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन संरक्षण केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पूंजी संबंधी अपेक्षाओं तक ही निबंधित रहेगा।

(5) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण से खुदरा कारबार में लगी हुई ऐसी सभी सहकारी संस्थाएं, जिनका विक्रय आवर्त कम से कम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है तथा सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड में वे संस्थाएं जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त 10 लाख रुपए है।

(6) यह स्कीम नई सहकरी समितियों हेतु पहले पांच वर्षों के लिए और मौजूदा समितयों के लिए विविधीकरण कार्यक्रम/नई गतिविधियों हेतु लागू होंगी।

5. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, ऊपर पैरा 4(1) में 4(1)5)में उल्लिखित सभी सहकारी संस्थाओं को ऐसे माल को गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अंतर्गत वही ऋण, प्रत्याभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम संपत्ति भी है, प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूत की बाबत ही उपलब्ध होगी। बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों पर केवल 10% का मार्जिन रखना है। किसी सोसाइटी को दिए गए किसी ऐसे उधार या अग्रिम धन की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन देयता, निम्नलिखित में से जो भी कम हैं वहां तक सीमित होगी, अर्थात् :—

(1) उस तारीख को, जिसको करार के निबंधनों के अनुसार मांगी की सूचना बैंक द्वारा जारी की गई है सहकारी सोसाइटियों के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया सब प्रत्याभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का 25 या

(2) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की दशा में 150 लाख रुपए (एक करोड़ 50 लाख रुपए) सभी राज्यस्तरीय परिसंघों को, जिसके अंतर्गत पैरा 4(5) में उल्लिखित सहकारी संस्थाएं भी हैं, दशा में 100 लाख रुपए (एक करोड़ रुपए) तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की, जिनके अंतर्गत परा 4(5) में उल्लिखित संस्थाएं भी हैं, चाहे उनके कारबार का स्थान महानगरों में है या कहीं और है, दशा में 60 लाख रुपए (साठ लाख रुपए) इनमें से जो भी कम हो।

6. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत उपलब्ध होगी। 1-4-1995 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम धन और 31 मार्च, 1995 को विद्यमान किसी उधार का अग्रिम धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रत्याभूति के अंतर्गत नहीं आएगी। इस प्रत्याभूति के कारण उत्पन्न हुए केन्द्रीय सरकार का दायित्व 31 मार्च, 1995 को कारबार के बंद होने के समय समाप्त हो जाएगी।

7. सोसायटी, भारत के राष्ट्रपति के साथ इससे उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबंधित प्रारूप में एक करार करके निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध होगी, अर्थात् :—

(क) उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय बैंक द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करने के लिए,

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसायटी का कारबार तत्परतापूर्वक करने के लिए;

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धराशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना किसी आपत्ति के करने के प्रत्याभूति देने के लिए, जो बैंक द्वारा सोसायटी की ओर से बैंक को संदाय करने में चूक के कारण केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाए;

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करने, तदोपरांत, स्टाक में हुई कमियों का तत्काल निर्धारण करने, उनके लिए जिम्मेदारी निर्धारण करने और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करने के लिए;

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाएं देने में कई सावधानी बरतने और साथ ही उसकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करने के लिए;

(च) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध-रिपोर्ट का तैयार कियाजाना सुनिश्चित करने और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए;

(छ) सोसाइटी की संपत्तियों और आस्तियों, को उन बिल्लगमों तथा कुर्कियों से भिन्न बिल्लगमों और

कुर्कियों से मुक्त रखने के लिए, जो बैंक के पक्ष में हों तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में हैं, और

(ज) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसाइटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

यह करार धन राशि निकालने की तारीख से पूर्व निष्पादित किया जाएगा। बैंक कोई संदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि हस्ताक्षरित करार तथा प्रत्याभूति विलेख की द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप में सम्मति-पत्र नहीं दे दिए जाते हैं।

8. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिमधनों पर ब्याज के लिए लाभ नहीं होती है।

9. प्रत्येक बैंक ऐसे सभी वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंकों को उनके द्वारा सोसाइटी को दिए गए ऐसे उधारों के बारे में उपलभ्य हों, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंकों को देय संपूर्ण बकाया की उनके द्वारा वसूली के बाद भी तब तक प्रतिधारित रखेगा जब कि प्रत्याभूति-दाता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए।

10. बैंक प्रत्याभूति-विलेख की द्वितीय अनुसूची में दिया गया इस आशय का एक सम्मति-पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा कि सोसाइटी निम्नलिखित रूप में करार करती है कि :—

(क) वह प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक की संदत्त की गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर से जिस दर से सोसाइटी को दिए गए उधार या अग्रिम धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देती रहेगी जब तक उक्त रकम केन्द्रीय सरकार को संदत्त नहीं कर दी जाती;

(ख) वह उस तारीख के पश्चात् जिसको प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंक के दावे की पूरी तरह तुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक कि उन रकमों को जो उधार मुद्दे सोसायटी द्वारा या उससे वसूल की गई हैं और उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम धन लेखे सोसायटी द्वारा दी गई या उससे वसूल की गई सब रकमों को प्रतिभू (केन्द्रीय सरकार) के खाते में जमा होने देगी या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देगी;

(ग) सब ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंक के पक्ष में की प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार बैंक के पास होंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे सब दावों की तुष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों और दावों का अंतरण केन्द्रीय सरकार को उस दशा में करेगा जब पश्चात् कथित द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

11. बैंक का यह समाधान हो जाने की दशा में कि सोसाइटी प्रत्याभूति के अधीन दिए गए अग्रिम धन के प्रति बैंक को नियमित विप्रेषण करने में असफल रही है या किसी प्रत्याभूति को चालू रखने के लिए उसकी समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में प्रतिभू का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफल रहती है तो बैंक घटाए गए मार्जिन पर सोसाइटी द्वारा और धन प्राप्ति करने की अनुज्ञा नहीं देगा तथा सोसायटी द्वारा सभी आगे के विप्रेषणों को प्रत्याभूत ऋण के खाते में तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि वे पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नहीं हो जाता।

12. बैंक द्वारा किसी विशिष्टि सोसायटी की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा। प्रत्याभूति का आश्रय 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय लिया जा सकेगा। बैंक पहले सोसायटी के नाम इस प्रभाव की मांग सूचना जारी करेगा कि वह उस रकम को, जो बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम धनों के लेखे बैंक को दे होंगे, उस तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त करे जिसको ऐसे प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है। ऐसी मांग की सूचना की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि सोसायटी उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक रकमों का संदाय नहीं करती है तो बैंक केन्द्रीय सरकार के नाम मांग की सूचना जारी करेगा। केन्द्रीय सरकार बैंक को प्रत्याभूति के अधीन संदेय रकम की प्रतिपूर्ति उस तारीख के 90 दिन के भीतर करेगी जिसकी उसे प्रत्याभूति का आश्रय लेते और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्राप्त हो।

13. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रतिभूति चाहने वाला बैंक, किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय लिए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार के नाम इन रकमों को जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की पूरी वसूली बैंक द्वारा सोसायटी से किए जाने के

पश्चात् सोसायटी से वसूल की जाए। बैंक के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने के पश्चात् उपरोक्त रीति से कार्यवाही करे।

14. उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट बैंक की बाध्यता, उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि वह रकम जिसकी प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है केन्द्रीय सरकार को संदत्त नहीं कर दी जाती है या केन्द्रीय सरकार के नाम जमा नहीं कर दी जाती है या जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त रकम का समायोजन आगे द्वारा बैंक या सोसायटी को संदेय किसी अन्य रकम से करने या उस रकम की वसूली का आधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाती।

15. संबंद्ध राज्य की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार वैध और प्रशासनिक रूप से सोसायटी के कार्यकरण का नियमित पर्यवेक्षण करने तथा सोसायटी कार्यों और गतिविधियों में किन्हीं प्रतिकूल लक्षणों के पाए जाने की दशा में या यदि सोसायटी द्वारा अनियमित विप्रेषणों या सोसायटी के कार्यकरण में किन्ही अन्य अवांछनीय वित्तीय बातों के संबंध में बैंक द्वारा कोई रिपोर्ट की जाने की दशा में समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होगा। यह स्पष्टतः समझ लिया जाए कि यह प्रत्याभूति केवल तभी दी जाएगी जब संबंद्ध राज्य के सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की गई सिफारिश को ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया यह आश्वासन समझा जाएगा कि सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों के संबंध में बैंक और/या भारत सरकार से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, समुचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

16. भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में, जो उपभोक्ता सहकारी समितियों, नई दिल्ली से संव्यवहार करता है, निदेशक/उपसचिव की पंक्ति या उससे उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के संबंध में बैंकों के साथ प्रत्याभूति का विहित करार करने के लिए प्राधिकारी होगा। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे ऊपर उपदर्शित मंत्रालय में प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन के भारसाधक अधिकारी से संपर्क स्थापित करें।

एन. आशा भास्कर,
संयुक्त सचिव

प्रत्याभूति विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रतिभू कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में ----------जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तथा संचालित बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित किया गया है निगम है। ----------(बैंक का नाम) जो भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किया गया निगम है। ----------के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी है, और जिसका---------- ----------कार्यालय---------- में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) के बीच 19 को/की---------- ----------दिन किया गया यह प्रत्याभूति-विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:—

बैंक द्वारा----------को (जिसे इसमें इसके पश्चात "सोसायटी" कहा गया है) पश्चात कथित के निवेदन पर, उन मार्जिनों को शिथिल करके जो इस प्रत्याभूति की अनुपस्थिति में बैंक सामान्य रूप से अनुसरण करता है प्रतिभू बैंक को इसमें इसके पश्चात उपवर्णित परिमाण तक उधारों और अग्रिम धनों को सोसायटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्याभूति करता है, जो इसमें इसके पश्चात उल्लिखित है :—

1. प्रतिभू की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसायटी की विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूत उधार या अग्रिम धन की बाबत ही उपलब्ध होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अंतर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम-धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसाइटी को उपरोक्त रूप में दिए गए उधार या अग्रिम-धन की बाबत प्रतिभू का दायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होगा :—

(1) उस तारीख को जिसको प्रतिभू के नाम मांग की सूचना इसके खंड (3) के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसायटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत ; या

(2) ----------लाख रुपए।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से ले सकेगा, अर्थात:—

(1) बैंक पहले सोसाइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे

बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम धनों मेंसे अपने को देय हों, उस तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त करे जिसको ऐसा प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है। इस मांग नोटिस की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(2) यदि सोसाइटी, अनुपूर्वोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उसे दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा।

(3) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लेते समय, प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा:—

(1) उन मालों का ब्यौरा, जिन पर ऐसा उधार या अग्रिम धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है;

(2) उक्त मालों का बाजार मूल्य, और

(3) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें:—

(क) वह तारीख जिसकी प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी; तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति की तारीख, और

(4) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबंधित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगा जिसकी प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो।

4. इसमें अंतर्विष्ट प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के विरुद्ध प्रवृत्त की जा सकेगी कि कोई प्रतिभूतियां जो बैंक ने सोसाइटी से अभिप्राप्त की हों, बकाया हों, या वसूल न की गई हों।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबद्ध करती है कि वह:—

(क) बैंक द्वारा उधार अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी,

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी,

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों, का प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की भी प्रत्याभूति देगी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यतिक्रम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाए।

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, उपदर्शित कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उनके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी,

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ-साथ उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी;

(च) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू को भेजेगी,

(छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आस्तियों को उन विल्लंगमों तथा कुर्कियों से मुक्त रखेगी—जो उनके अलावा हैं, जो बैंक के पक्ष में हैं तथा जिसके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में हैं, और

(ज) प्रतिभू या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

बैंक सोसाइटी को तब तक कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख को प्रथम अनुसूची के प्ररूप में करार तथा द्वितीय अनुसूची में वे सम्मति-पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित करके उसे नहीं दे दिए जाते।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रति फलस्वरूप जो उसकी प्रतिभू से उपलब्ध है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा:—

(क) प्रतिभू को ऐसी कोई रकम संदत्त करना या उसके खाते में जमा करना जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने की तारीख के पश्चात, प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों को पूरी वसूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सोसाइटी से वसूल की जाएगी;

(ख) ऐसे सब वचन-पत्रों या बंधपत्र न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधारों के बारे में उसे उपलब्ध हों, बैंक को देय सम्पूर्ण बकाया की उसके द्वारा वसूली के पश्चात भी तब तक प्रतिधारित रखना जब तक प्रतिभू द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए,

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपबंधित प्ररूप में एक सम्मति-पत्र सोसायटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना;

(घ) यदि प्रतिभू द्वारा अपेक्षा की जाए, तो उसके को देय बकाया की पूरी वसूली बैंक द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सब ऐसे वचन-पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिभू तथा/या उसके नाम-निर्देशिती को अन्तरित करना किन्तु यह तब जब कि प्रतिभू को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हो, और

(ङ) इसके उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबंधित प्ररूप में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना, जैसा कि उसके खण्ड 5 में उपबंध किया गया है ।

7. प्रतिभू की प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों पर ब्याज के बारे में लागू नहीं होगी ।

8. खंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में बैंक की बाध्यताएं उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिभू द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिभू को चुका न दी जाती या उसके नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक प्रतिभू अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदत्त की जाने वाली अन्य शोध्य रकम के साथ उक्त रकम का समायोजन न करने या उस रकम की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता ।

9. इस सोसाइटी की बाबत प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है या उसका आसरा लेने के पश्चात कोई उधार या अग्रिम धन उस सोसाइटी को दिया जाता है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिभू द्वारा की गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम धन बैंक की अपनी जोखिम पर होगी । और ऐसे अतिरिक्त उधार या अग्रिम धन के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होगा ।

10. 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम-धन और 31 मार्च, 1995 को विद्यमान किसी भी उधार या अग्रिम धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत नहीं की जाएगी । प्रतिभू के दायित्व 31 मार्च, 1995 को कारोबार बंद होने के समय समाप्त हो जाएगा ।

11. प्रतिभू, ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत, जिनके संबंध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलब्ध है, ऐसी जानकारी और विवरणियां बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिभू द्वारा विनिर्दिष्ट या अपेक्षित की जाए ।

12. यदि इस करार से उद्भूत या उसके संबंध में या उसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस करार की बाबत अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह तत्समय भारत सरकार के अपर विधि सलाहकार (माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और उक्त अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति संबंधित है, कार्रवाई करनी पड़ी थी या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में वह उन सब बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मतभेद है अपने विचार प्रकट कर चुका है । माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबंध या उसके कोई कानूनी उपान्तरण या पुनः अधिनियमित ऐसे माध्यस्थम को लागू होंगे । माध्यस्थम कार्यवाहियां उस स्थान पर की जाएंगी जिसे माध्यस्थम विनिर्दिष्ट करे । मध्यस्थ को यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों की सम्मति से समय-समय पर बढ़ा सके ।

13. इस प्रत्याभूति विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा ।

14. इसके साक्षस्वरूप प्रतिभू और बैंक ने यह विलेख ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को सम्यक रूप से निष्पादित कराया है ।

निष्पादक प्रत्याभूति तथा प्रत्याभूत भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से परिसर में कार्यकारी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में जो उपभोक्ता सहकारी समितियों से संव्यवहार करता है ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में साक्षी

(1)

(2)

प्रपत्र अनुसूची

करार

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "केन्द्रीय सरकार" कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत, जब तक संदर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उनके पद—उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे और दूसरे पक्षकार के रूप में ——————————के अधीन रजिस्ट्रीकृत ——————————सहकारी सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत/केन्द्रीय/मुख्य कार्यालय——————————में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "सोसाइटी" कहा गया है जिस पद के अंतर्गत, तब तक संदर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती और उत्तराधिकारी भी समझे जाएंगे) के बीच आज 19—— ——के/की——————————के ——————————दिन किया गया यह करार निम्नलिखित का साक्षी है:—

——————————बैंक के द्वारा, सोसाइटी को उधार अग्रिम धन, नकद उधार सीमाएं और अन्य बैंककारी सुविधाएं और सौकर्य देने के प्रतिफल स्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार और अग्रिम धन के एक भाग के प्रति संदाय को केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूति देने पर, सोसाइटी केन्द्रीय सरकार से एतद्द्वारा वचनबद्ध करती है कि वह:—

(1) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के शोध्यों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी;

(2) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी ;

(3) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी ।

(4) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ ही उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी;

(5) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकार को भी भेजेगी ;

(6) सोसाइटी को सम्पत्तियों और आस्तियों को विलंगम तथा कुर्कियों से मुक्त रखेगी—जो उनके अलावा है, जो बैंक के पक्ष में है तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा वे जो राज्य सरकार के पक्ष में हैं, और

(7) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्देशित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखा तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ।

2. सोसाइटी, केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों को प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वआपत्ति के, करने की प्रत्याभूति करती है जो बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से सोसाइटी की ओर से लिए गए व्यतिक्रम के फलस्वरूप वसूल की जाए ।

3. उपरोक्त खंड 2 के सिवाय, इस करार से उदभूत होने वाले या इससे किसी प्रकार से सम्बद्ध या संबंधित सभी विवाद और मतभेद भारत सरकार के ऊपर विधि सलाहकार (माध्य स्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाएंगे । यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी मामले पर अपने विचार प्रकट किए थे । भारतीय माध्यस्थम अधिनियम के उपबंध ऐसे माध्यस्थमों को लागू होंगे । माध्यस्थ का पंचाट अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से ————————
——————————(नाम और पदाभिमान)
द्वारा हस्ताक्षरित सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों)
द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पदाभिमान)

साक्षी—

(1)

(2)

द्वितीय अनुसूची

सम्मति पत्र

सेवा में,

1. ——————————बैंक

2. भारत के राष्ट्रपति ।

——————————द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है)——————————को दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों के एक भाग में प्रतिसंदाय को प्रत्याभूत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "राष्ट्रपति" कहा गया है) के सहमत हो जाने के फलस्वरूप, हम यह करार करते हैं कि कोई भी वचन पत्र और माल की गिरवी या आडमान के रूप में कोई भी प्रतिभूति, जिसके अंतर्गत बही, ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान और अन्य जंगम सम्पत्ति भी है जो ऐसे उधारों और अग्रिम धनों के संबंध में अपने बैंक को दी है और हमारे द्वारा दी जाए, इस बात के होते हुए भी अस्तित्व में रहेगी तथा बैंक द्वारा प्रतिधारित की जा सकेगी कि राष्ट्रपति द्वारा बैंकों को दी गई प्रत्याभूति के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने हमारे खाते में की किसी कमी को पूरा कर दिया है, हम यह और करार करते है कि :—

(क) हम राष्ट्रपति की प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बैंक को दी गई किसी रकम पर ब्याज, उसी दर से जिस दर से हमको दिए गए उधार या अग्रिम धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देते रहेंगे जब तक उक्त रकम राष्ट्रपति को संदत्त या उनके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जाती;

(ख) उस तारीख के पश्चात जिसकी अपनी प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति ने किसी रकम की बाबत बैंक की प्रतिपूर्ति की है किन्तु राष्ट्रपति को प्रत्याभूतियों के अंतर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंक के दावे को पूरी-पूरी तुष्टि हो जाने के पश्चात और उस समय तक जब तक उन रकमों की, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है, उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित, हमारे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी गई या हमसे वसूल की गई सब रकमों को जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देंगे ;

(ग) ऐसे सब उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंकों के पक्ष में की गई प्रतिभूतियों के बारे में सभी अधिकार बैंक के पास रहेंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के ऐसे सभी दावों की, जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, तुष्टि नहीं हो जाती, और

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों तथा दावों या बैंक उस दशा में राष्ट्रपति को अंतरण करेगा, जबकि उनके द्वारा या उनकी ओर से ऐसी अपेक्षा की जाए ।

गोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित
(नाम और पदाभिमान)

साक्षी :—

(1)

(2)

अनुबन्ध—II

अधिसूचना संख्या ओ-17011/2/89-सी एफ एस दिनांक 1-11-1990 के द्वारा परिचालित केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति योजना के तहत राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों में घटी दरों पर कार्यकर पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति की मंजूरी हेतु प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :

जो संस्था केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति (गारंटी) चाहती है, उसे अपना प्रस्ताव निम्नलिखित सूचना और कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा :—

(1) निर्धारित फार्म (परिशिष्ट-I) में संस्था का ब्यौरा दिया जाये तथा साथ ही यदि उसकी बिक्री और लाभकारिता में किसी वर्ष विशेष में कमी आई है तो उसके कारण दिये जायें।

(2) निदेशक मंडल का संकल्प (परिशिष्ट-II), जिसमें केन्द्रीय सरकार की गारंटी के तहत किसी बैंक विशेष से कार्यकारी ऋण प्राप्त करने के लिये संस्था के निर्णय का उल्लेख हो जो आवेदन-पत्र की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना न हो, भेजा जाये और साथ ही उसमें आवश्यक घोषित कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिये व्यक्ति/व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया गया हो।

(3) अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में दिया गया करार, प्रपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत् हस्ताक्षर हों, भेजा जाये।

(4) अधिसूचना की दूसरी अनुसूची में दिया गया सम्मतिपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत् हस्ताक्षर हों, भेजा जाये।

(5) पिछले चार सहकारी वर्षों के लिये लेखाओं का लेखा परीक्षित कच्चा विवरण अर्थात् व्यापार और लाभ तथा हानि लेखा व तुलनपत्र भेजा जाये। इनमें से कम से कम दो वर्षों के लेखा विवरण लेखा परीक्षित हों तथा साथ-साथ बाद के छमाही/तिमाही के कच्चे लेखा हों। लेखा परीक्षा पूरी होने के संबंध में प्रमाण-पत्र भी शामिल किया जाये।

(6) यदि किसी संस्था को पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में, जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है, हानि हुई हो तो हानि होने के विस्तृत कारण दिये जायें और साथ ही पुनः लाभकारिता प्राप्त करने के लिये उक्त सोसायटी द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदमों का भी उक्त टिप्पण में उल्लेख किया जाये।

(7) सोसायटी की उपविधियों की एक प्रति।

(8) सोसायटी की अधिकतम ऋण लेने की सीमा का प्रमाण-पत्र।

(9) परिशिष्ट-III के अनुसार एक विवरण भेजा जाये जिसमें अंतिम सहकारी वर्ष के अंत में स्वामित्वाधीन निधि के प्रयोज्य भाग का उल्लेख किया जाये।

2. जिस तारीख से गारंटी अपेक्षित है, उससे कम से कम तीन माह पूर्व उपर्यक्त आधार पर प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार किया जाये और एक प्रति वित्तदायी बैंक को नकद साख ऋण की मंजुरी के लिये प्रस्तुत की जाये। दूसरी प्रति सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक को, भारत सरकार को अपनी सिफारिश भेजने के लिए प्रस्तुत की जाये और एक अन्य प्रति भारत सरकार को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जाये।

3. एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क भुगतान और लेखा अधिकारी नागरिक पूर्ति विभाग के नाम से बनवाये गये दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये आवेदन के साथ भेजा जाये।

4. आवेदन प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बैंक के मामले को परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रपत्र में भारत सरकार को सिफारिश के साथ भेजेगा। मामले की सिफारिश करते समय इस योजना के पैरा 10 की ओर बैंक का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5. दूसरी अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर सहकारी समितियों के पंजीयक परिशिष्ट-V पर दिये गये प्रपत्र के अनुसार सूचना देते हुए अपनी सिफारिश के साथ मामला भारत सरकार को भेजेंगे। इस संबंध में उनका ध्यान इस योजना के पैरा 14 की ओर आकर्षित किया जाता है।

6. वित्तदायी बैंक और सहकारी समितियों के पंजीयक की सिफारिशें उस तारीख से कम से कम एक माह पूर्व इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिये, जिस तारीख से केन्द्रीय सरकार की गारंटी अपेक्षित है।

7. अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–I

केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत वित्तदायी बैंक से कार्यकारी पूंजी ऋण के लिये आवेदन करने वाले सहकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ब्यौरे (नवीनतम आंकड़ों पर आधारित)

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता :

2. शुरू करने की तारीख सहित पंजीकरण की तारीख :

3(क)	सदस्यों की सं.	अंश पूंजी की राशि (लाख रु. में)
(1) व्यक्ति		
(2) सोसायटी/संस्थान		
(3) सरकार		
(4) कुल :		

(ख) निदेशक मंडल का स्वरूप :

(1) निर्वाचित सदस्य

(2) नामित सदस्य

(3) कुल :

4. उधार लेने की शक्तियां

(क) बैंक से ऋण लेने की शक्तियों और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा के बारे में सोसायटी के उप नियमों/नियमों की संख्या का उल्लेख करें।

(ख) सोसायटी के प्रबन्धकों द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये जिसमें सोसायटी की ऋण लेने की सीमा का उल्लेख किया गया हो ।

5. केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण और अग्रिम प्राप्त करने और इस संबंध में सोसायटी के तरफ से कागजात पर हस्ताक्षर भी करने के वास्ते सोसायटी के पदाधिकारी को प्राधिकृत करने हेतु एक संकल्प (प्रपत्र परिशिष्ट-II में) निदेशक मंडल/प्रबंध समिति द्वारा पारित किया जाये और उनकी प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायें। (व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें)

6. नकद ऋण सीमा का औचित्य जिसके लिये आवेदन किया गया है, उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचना भी दी जाये :

क्रम सं.	सोसायटी द्वारा व्यापार की गई वस्तुएं/वस्तु-समूह बारंबारित	अनुमानित वार्षिक बिक्री (लाख रु. में)	रहतिया बारंबारित (वार्षिक बिक्री ÷ $\frac{1}{2}$) (आरंभिक स्टाक + अंतिम स्टाक)
1			
2			
3			
4			
5			

7. वांछित ऋण सुविधा का ब्यौरा :

(क) नकद ऋण सीमा का आधार :

(1) माल की गिरवी :

(2) माल की बंधक :

(ख) अवधि जिसके लिये अग्रिम की मांग की गई है । मांगे गये अग्रिम की अवधि।

8. कुल स्वामित्वाधीन निधि और स्वामित्वाधीन निधि का विनियोज्य अंश

(परिशिष्ट-III पर दिये गये प्रपत्र के अनुसार)

9. शाखाओं की सं.	ग्रामीण क्षेत्रों में	गंदी बस्ती और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में	समाज के अन्य वर्ग में
(1) बहुविभागी भण्डार			
(2) केवल उचित दर दुकानें			
(3) अन्य			
(4) कुल			

10. विगत तीन सहकारी वर्षों के दौरान बिक्री : (लाख रु.)

वर्ष	नियंत्रित वस्तुएं	गैर-नियंत्रित वस्तुएं	आवश्यक मदें	कुल
(1)				
(2)				
(3)				

11. पिछले सहकारी वर्ष के अंत में ऋणों का विवरण :

अभिकरण	प्रयोजन	मंजूर की गई राशि	वर्ष के दौरान निकाला गया अधिकतम ऋण	वर्ष के अंत में बकाया ऋण
(1) सरकार				
(क) विशिष्ट परियोजना हेतु				
(ख) कार्यकारी पूंजी हेतु				
(2) वित्तदायी बैंकों से				
(3) अन्य स्रोतों से (कृपया उल्लेख कर)				
(4) कुल				

12. अंतिम दो लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और अंतिम सहकारिता वर्ष समाप्त होने तक बाद के वर्षों के प्रोफार्मा तुलन-पत्र लेखा परीक्षित लेखाओं, व्यापार, लाभ और हानि लेखाओं और तुलनपत्रों की एक प्रति संलग्न की जानी है। उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसने लेखाओं की लेखा परीक्षा की है :

13. पंजीयक द्वारा प्रदत्त लेखा परीक्षा का वर्ग :

14. यदि भंडार इस समय घाटे में चल रहा है तो उसके क्या कारण हैं तथा सोसायटी के संचालन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार लाने के लिये कार्य योजना सहित उठाये गये उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा दें एक अलग टिप्पण में उल्लेख करते हुए इस प्रोफार्मा के साथ संलग्न करें :

15. संस्थान द्वारा प्राप्त अब तक उपयोग की गई गारंटी सुविधा/पुनर्वास सहायता का ब्यौरा :

16. वित्तदायी बैंक की ऋणों/किश्तों का भुगतान न कर पाने के कारण, यदि कोई हो :

17. 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क चुकाने वाले डिमाण्ड ड्राफ्ट का ब्यौरा :

सोसायटी के अध्यक्ष/महाप्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–II

निदेशक मंडल की.....को हुई बैठक की कार्यवाही से उद्धरण ।

कार्यसूची	कार्यवाही
केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत·····बैंक से···· के नकद ऋण/रेहन ऋण प्राप्त करने तथा साथ ही इस बारे में समिति की ओर से व्यक्ति/व्यक्तियों को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।	संकल्प किया जाता है कि·····बैंक से वस्तुओं के बंधक/रेहन के प्रति·····से तक की अवधि के लिए केंद्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत·····रु. की एक नकद ऋण सीमा के लिये आवेदन किया जाये । यह भी संकल्प किया जाता है कि श्री·····और श्री·····को ऋण व केन्द्रीय सरकार की गारंटी की मंजूरी प्राप्त करने के लिये समिति की ओर से करार करने तथा सभी आवश्यक विलेख व बंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया जाये ।

परिशिष्ट—III

समिति का नाम

(लाख रु. में)

1. स्वामित्वाधीन निधि

(1) अंश-पूंजी

(2) सांविधिक आरक्षित निधि

(3) अन्य आरक्षित निधि

(4) योग (क)

2. निवेश

(क) (1) अन्य संस्थाओं में अंश

(2) आवधिक अथवा अन्य जमा (आरक्षित निधि, जमा को छोड़कर)

(3) स्थायी परिसम्पत्तियां

(4) व्यापार के बाहर निवेश की गई आरक्षित निधि

योग :

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों हेतु प्राप्त ऋण और राज-सहायता घटाएं :

(ग) स्वामित्वाधीन निधि में से निवेश (क—ख) (ख)

स्वामित्वाधीन निधि का निवल प्रयोज्य (क—ख) पिछले वर्ष के लिये नियत बिक्री का लक्ष्य वर्ष के दौरान की गई बिक्री अगले वर्ष के लिये प्रस्तावित बिक्री लक्ष्य

परिशिष्ट—IV

बैंक की संस्तुति का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक (सी. एफ. एम.)
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
नागरिक पूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय :—केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत .....संघ/सोसायटी/भंडार को..... रु. के लिये नकद ऋण सीमा की मंजूरी के संबंध में।

महोदय,

हम केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत .....सोसायटी से प्राप्त .....रु. की नकद ऋण सीमा को मंजूरी हेतु प्रस्ताव की एक प्रति साथ में भेज रहे हैं। इस बैंक ने .....तक की अवधि के लिये .....सामान्य मार्जिनों पर .....संस्था का नाम .....को .....रु. की नकद ऋण/बंधक ऋण सीमा मंजूर की है। समिति के पक्ष में केन्द्रीय सरकार की गारंटी हमें मिल जाने के बाद 10 % मार्जिन पर बंधक और/अथवा रेहन रखी गई वस्तु पर समिति को नकद ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि समिति ऋण की किश्तों का नियमित रूप से भुगतान कर रही है तथा समिति के संचालन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार .....को समाप्त अवधि के लिये (संस्था का नाम) .....को .....रु. की नकद ऋण सीमा के वास्ते केन्द्रीय सरकार की गारंटी मंजूर करने की कृपा करें।

भवदीय,
प्रबंधक/अभिकर्ता

परिशिष्ट—V

सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार की गारंटी की सिफारिश करते समय सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ब्यौरे ।

1. सोसायटी का नाम :

2. गत तीन वर्षों के कार्य के परिणाम :

(लाख रु. में)

वर्ष	बिक्री	निवल लाभ/ निवल हानि

3. लेखा परीक्षा की स्थिति :

(क) अवधि जब तक स्थान के लेखा की लेखा परीक्षा की गई है :

(ख) यदि लेखा-अद्यतन नहीं है, तो संलम्बित पड़े लेखाओं को पूरा करने के लिये उठाए गये/प्रस्तावित कदम :

4. निरीक्षण :

(क) सरकार के अधिकारियों द्वारा सोसायटी के निरीक्षण की तारीख

(ख) भंडार के कार्य में देखी गई खामियां

(ग) खामियों को दूर करने के लिये उठाये गये कदम :

5. नकद ऋण सीमा के लिये राशि और गारंटी की अवधि का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की सिफारिश :

6. कृपया बतायें कि क्या तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

सहकारी सिमितियों के पंजीयक

नोट : विशिष्ट सिफारिश के अभाव में प्रस्ताव को माना नहीं जा सकेगा।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Deptt. of Consumer Affairs & PDS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1995.

No. O-17011/6/94-CFS :—The Government of India notified in their notification No. O-17011/5/82-GOP dated 17th June, 1985 and O-17011/2/89-CFS dated 12-11-1990, the continuance of the scheme of Central Government Guarantee as the fifth phase for a period from 1-4-85 to 31-3-90 and 1-4-90 to 31-3-95 to enable the Consumer Cooperatives and other cooperative institutions specified therein, to secure working capital loans from banking agencies on reduced margins during the 8th Plan period.

2. Having considered the increasing need for working capital requirements of the Consumer Cooperatives from banking institutions at reduced margin of 10% it has been decided by the Government of India to operate the scheme of the Central Government Guarantee for a further period of 2 years from 1-4-1995 to 31-3-1997 (coincide with 8th plan period).

3. All the cooperative societies availing of working capital loans from banking institutions under the scheme will have to pay a guarantee fee of 1% per annum.

4. In pursuance of the above decision the Government of India will consider entering into agreements in the from of Deed of Guarantee at Annexure-I, with any Apex/District Central Cooperative Bank, any bank constituted and functioning under banking companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970/State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act 1955, a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary bank Act, 1959) in respect of secured advances made by them to :—

(i) National Cooperative Consumers' Federation.

(ii) All State Federation of Consumer Cooperatives.

(iii) All Wholesale/Central Consumers Cooperative Societies.

(iv) All State Level Cooperative Federations engaged in the business of consumera rticles registered under any nomenclature provided that their coverage under this guarantee scheme will be restricted to their working

capital requirements for distribution of consumer articles alone.

(v) All Cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles registered with what so ever nomenclature and having sales turnover of atleast Rs. 20 lakhs and in case of such institutions in the cooperatively under developed States (Assam, Bihar, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, West Bengal, Manipur, Tripura, and Nagaland) having the minimum annual sales turnover of Rs. 10 lakhs.

(vi) The scheme would be extended to new cooperative societies for first five years and to the existing societies for diversification programme/new activities.

5. The Central Government Guarantee will be available only in respect of secured loans and advances guaranteed for specified periods before 1-4-1997 with the prior approval in writing of the surety, against pledge or hypothecation of goods, which would include book debts securities, investments and other moveable property, to all cooperative institutions mentioned in 4(i) to 4(v) above. The banks have to keep a margin of 10 percent only on such loans and advances. The liability under the Central Government's Guarantees in respect of any such loans and advances to any society will be limited to :

(i) 25% of the amount of all guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the bank against the cooperative society on the date on which the notice of demand is issued by the bank in accordance with the terms of the agreement.

OR

Rs. 150 lakhs (Rupees one crore and fifty lakhs) in the case of the National Cooperative Counsumers Federation, Rs. 1000 lakhs (Rupees one crore) in the case of all State Level Federations including coopearative institutions mentioned in para 4(iv) and Rs. 60 lakhs (Rupees sixty lakhs) in the case of all other cooperative institutions including those mentioned in para 4(v) irrespective of their place of business in metropolitan cities or else-where, whichever amount is less.

6. The guarantee in pursuance of this Notification will be available only in respect of secured loans and advances granted, for specific periods, with the prior approval in writing of the Central Government before the 1st April, 1997. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1997 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1997 shall be covered by the guarantee. The Central Government's liability on account of this guarantee shall become determined at the close of business on the 31st March, 1997.

7. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee, annexed hereto, undertaking :—

(a) To pay the dues of the bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(b) To carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

(c) To guarantee to the Central Government repayment or all moneys that may be recovered by the bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the bank on demand whithout demur;

(d) To implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(e) To exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions, and individuals combined with measures for systematic and prompt recovery;

(f) To ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balauce sheet as on the 1st day of each quarter, together with proparation of a quarterly management report on the Society's working and submit a copy of it to the Central Government and to the State Government every quarter;

(g) To keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Government; and

(h) To provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts of the society and it working.

The agreemedt shall be exceuted before the date of drawal of the money. The Bank shall not make any payment unless the signed agreement and the Letter of Consent in the form provided in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished.

8. The Central Government's guarantee does not extend to the interest on the loans and advances granted by banks.

9. Every bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities which may be available to the bank in respect of such loans granted by it to the scociety even after realisation by it in full of the outstanding dues to it in respect of the loans and advances advanced by it under the Central Government Guarantee, till the amount reimbursed by the Central Government as guarantor is realised.

10. The bank shall obtain from the society and furnish to the Central Government, a Letter of Consent by the society as in the second schedule to the Deed of Guarantee, to the effect that the society agrees to :—

(a) Continue to pay interest on any account paid to the bank by the Central Government in pursuance of the guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the bank of the loan or advance made to the society until the said amount is paid to or adjusted in favour of the Central Government.

(b) Credit or permit the bank to credit to the account of the surety all the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan or advance, after the date on which the Central Government have reimbursed any amount to the bank in pursuance of the guarantee but after the banks claim in respect of the loans and advances covered by the guaratnee has

been fully satisfied and so long as the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan interest and charges thereon have not been reimbursed by the society.

(c) The bank shall continue to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the Central Government are satisfied; and

(d) The bank transferring its rights and claim under such securities to the Central Government if so required by the letter.

11. In the event of the bank being satisfied that the society has failed to make regular remittances to the bank against the advance made under the guarantee or fails to obtain the prior approval of the Surety in writing for the continuance of a guarantee before its expiry, the bank will not allow further drawls by the society at redneed margin and will continue to credit all further remittances, by the society to the account of the guaranteed loan till it is fully repaid.

12. The Central Government's Guarantee shall not be invoked on more than one occassion by the bank in respect of a particular society. The guarantee may be invoked at any time before the 1st April, 1997. The bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of loans and advances granted to it by the bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously. On the expiry of the period of 30 days if the society does not make payment of the amounts, the bank may issue a notice of demand on the Central Government. The Central Government shall reimburse to the bank the amount payable to it under the guarantee. Within a period of 90 days, from the date of receipt of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

13. The bank seeking a guarantee in pursuance of this notification shall in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertake to credit to the Central Government any sums which may be realised from the society after the bank has realised from the society in full the loans and advances guaranteed by the Central Govt. It shall be obligatory on the bank to take action in the above manner after the Central Government has reimbursed the amount under the guarantee.

14. The obligations of the bank referred to in the above clauses shall continue till such time as the amount reimbursed by the Central Government under the guarantee has been paid or credited to the Central Government or until the Central Government has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the bank or to the society or to waive recovery of the amount.

15. The Registrar of Cooperative Societies of the concerned States/UTs is legally and administratively the competent authority for exercising regular supervision over the working of the society and also for taking appropriate remedial measure in case any adverse features are noticed in the affaris and working of the society, or if there is any report by the bank with regard to irregular remittances by the society or any other undesirable financial features in the operation. It is clearly understood that this guarantee will be given only if the proposal is recommended by the Registrar of Cooperative Societies of the concerned State/UTs. A recommendation made by the Registrar of Cooperative Societies will be deemed to be an assurance by such Registrar that necessary steps will be taken for regular supervision of the affairs and working of the society and that appropriate remedial measures will be taken in the case of any such adverse report received from the Bank/or from the Government of India on the affairs and working of the society.

16. Any officer of the rank of Director/Deputy Secretary and above in the Ministry of Government of India dealing in consumer cooperatives, New Delhi duly nominated by the competent authority will be the authority to enter into the prescribed agreement of guarantee with the banks for the Central Government Guarantee in pursuance of this notification. All banks referred to in the notification are advised to contact the officer incharge of the Guarantee and operation in the Ministry as indicated above in case they wish to avail themselves of the facility provided by the Central Government.

N. BALA BASKAR, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

DEED OF GUARANTEE

This deed of Guarantee entered into on the ..... day of ..... between the President of India (Hereinafter called "the Surety") of the one part and the..... .....a bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 ....(Name of the Bank), a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959/a Cooperative Society registered under..... .....and having its ..... office at ..... (hereinafter called "the Bank") of the other part witness as follows :—

In consideration of the Bank, Making loans and advances to..... ..... (hereinafter called the society) at the latter's request, after relaxing margins which the Bank but for this

guarantee might have normally kept, the Surety hereby guarantees to the Bank to the extent herein after provided the repayment of loans and advances by the society to the Bank subject to their terms and conditions hereinafter mentioned :—

1. The Surety's Guarantee will be available only in respect of any Secured loan or advance granted for specific periods to the society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st April, 1997 against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities investments and other movable property. The Bank agrees to keep a margin of only 10% against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said society shall not at any time exceed :—

(i) twenty-five percent of the amount of the guarantee loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the clause (3) hereof :—

OR

(ii) Rs. .....lakhs only, whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1997 in the manner hereinafter specified, namely :—

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is serviced by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously.

(ii) If on the expiry of the period of 30 days, as aforesaid, the society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety.

(iii) The Bank shall while invoking Surety's guarantee, furnish to the Surety, :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is invoked has been granted

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) The amounts outstanding against the society as at :—

(a) the date on which the notice as king for repayment was issued to the Society by the Bank; and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment; and

(iv) The Surety shall reimburse to the bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days from the date of receipt by the Surety of the Banks' notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against the Surety not withstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the deed of Guarantee, undertaking :—

(a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

(c) guaranteeing to the Central Government repayment of all money that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the Bank, on demand without demur;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the Society's working and sumbmit a copy of it to the Surety every quarter.

(g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attanchments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Govt; and

(h) to provide all facilities to the Surety on any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working;

The Bank shall not make any payment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the letter of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety :—

(a) to pay or credit to the account of the surety any amount which will be realised from the society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety ;

(b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the society even after realisation by it in full of the outstandings due to it, till the amount reimbursed by the surety is realised ;

(c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the form provided in the Second Schedule hereto ;

(d) if so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimursed the amount paid by it, and

(e) to obtain from the Socicity and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the first Schedule to the Deed of Guarantee annexed hereto, as provided in the Clause 5 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the society.

8. The obligations of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the Bank in respect of the Society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the Society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety any such loan or advance shall be at the Bank's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1997 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1997 will be guaranteed by the Surety. The Surety's liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1997.

11. The Surety shall be entitled to obtain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or return at such intervals and in such manner as may be specified or required by the surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to this agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant, that he had to deal with the matters

to which this guarantee relates or that in course of his duties as a Government servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provision of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enasctment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time, for making the award.

13. The stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused those presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the officer Incharge
(Guarantee and operations)
In the Government of India, in the Ministry dealing in Consumer Cooperative acting in the premises for and on behalf of the President of India.

In the presence of :—
Witness
1 ——————————
2 ——————————

ANNEXURE —II

Procedure for Submission of proposal for sanction of Central Government guarantee for obtaining working Capital Loan at reduced margin from the Nationalised Co-operative Banks under the Central Government Guarantee Scheme Circulated vide Notification No. O-17011/S/99-CFS Dated

The institution seeking Central Government Guarantee shall have to submit proposal with the following information and documents :

(i) Particulars of the institution in the prescribed form (Appendiix-I) alongwith the reasons if there is any shortfall in its sales and profitability during any particular year.

(ii) Resolution of the Board of Directors (Appendix-II) not earlier than three months from the date of application indicating the decision of the institution to obtain the working capital loan from a particular bank under Central Government Guarantee and also authorising the person/persons to sign necessary declared documents.

(iii) Agreement form as given at first schedule of the notification duly signed by the autherised persons and two witnesses with full address.

(iv) Letter of consent as given at second schedule of the notification duly signed by the autherised persons alongwith two witnesses with full address.

(v) Audited/proforma statement of accounts viz Trading and Profit & Loss accounts and balance sheet or last 4 cooperative years of which at least audited statement of Accounts should be of two years alongwith proforma account for the subsequent half year/quarter The certificate as regards completion of audit need to be incorporated.

(vi) In case the institution which has incurred loss during any one of the four preceding years including the current one, detailed, reasons for the loss as well as the specific steps initiated by the society to regain profitability may be indidcated in above note.

(vii) A copy of the byelaws of the society.

(viii) A certificate of maximum borrowing limit of the society.

(ix) A statement indicating the disposable part of owned funds at the end of latest cooperative year as per Appendix-III.

2. Proposal on the above lines is to be prepared in quarduplicate atleast three months in advance before the date from which the guarantee is required and one copy to be submitted to the financing bank for sanction of the cash credit loan, another copy to be submitted to the State Regisrar of Co-operative Societies for sending his recommendations to the Government of India and another copy to be sent to the Govt of India as an advance copy.

3. The guarantee fee of 1% per annum will have to be sent through a demand draft drawn in favour of the PAO, Ministry of Civil Supplies, CA & PD payable at New Delhi alongwith the application.

4. On receipt of the application, after considering the proposal the bank shall recommend the case to the Government of India in the proforma given at Annexure-IV, while recommending the case the Bank's attention is particularly drawn to para 10 of the Scheme.

5. On receipt of another advance copy the Registrar Co-operative Societies will recommend the case to the Government of India alongwith the information as per proforma at Appendix-V. In this connection his attention is drawn to para 14 of the Scheme.

6. The recommendations of the financing bank as well as the Registrar Co-operative societies should be sent to this Ministry atleast one month in advance of the date from which the Central Government Guarantee is required.

7. Incomplete application will not be entertained.

FIRST SCHEDULE
AGREEMENT

This agreement made this——————day of——————between—————— the President of India (hereinafter called "The Central Government" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one part and—————— ——————a cooperative society registered under the——————and having its registered/central head office at——————(hereinafter referred to as "The Society" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its executors, administrators, representatives and permitted assigns and successors) on the other part witnessth as follows:—

In consideration of——————Bank making loans, advances, cash credit limit and other banking facilities and accommodations to the Society, inter-alia on the Central Government Guaranteeing repayment of a part of the loan and advance made to the society by the Bank, the Society hereby undertakes to the Central Government:—

(i) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan advance or cash credit;

(ii) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

(iii) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(iv) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;

(v) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and also to the State Government every quarter;

(vi) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Govt., and

(vii) to provide all facilities to the Central Govt. or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts and its working;

2. The Society guarantees to the Central Govt. repayment of all moneys that may be recovered by the Bank from the Central Govt. on account of any default on the part of the Society on demand without demur.

3. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, excepting Clause 2 above shall be referred to the Sole Arbitration of the person holding the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) Govt. of India. It will be no objection that the arbitrator is a Govt. servant or that he had expressed views in all or any of the "Indian Arbitration Act" shall apply to such arbitrations. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

Signed by (name and designation) for and on behalf of the President of India.

Witness

1.——————

2.——————

Signed by the Authorised representative(s) of the Society (name and designation)

SECOND SCHEDULE

LETTER OF CONSENT

To

1.————————————Bank

2. President of India

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as the President) having agreed to guarantee the repayment of a part of the loans and advances made to the (Name of the Society)————————————by the (Name of the Bank)————————————(hereinafter referred to be "the Bank"), we hereby agree that any promissory note and any security by way of pledge, or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and matters in dispute or difference. The provisions contained in the other moveable property, that we have given and may give to the Bank in connection with such loans and advances shall be subsisting and may be retained by the Bank, notwithstanding the fact that in pursuance of the guarantee given to the Bank by the President, the President may have made good any deficit in our account.

We further agree:—

(a) to continue to pay interest on any amount paid to the Bank by the President in pursuance of the President's guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the Bank on the loan or advance made to us till the said amount s paid to or adjusted in favour of the President;

(b) to credit or to permit the Bank to credit to the account of the Surety of all the amounts paid by or recovered from us on account of the loan or advance, after the date on which the President has reimbursed any amount to the Bank in pursuance of the President's guarantees but after the Bank's claim in respect of the loans and advances covered by the President's guarantee has been fully satisfied and so long as the amounts reimbursed by the President together with the interest and charged thereon have not been reimbursed by us;

(c) to the Bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the Bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the President as are referred to in clause (b) are also satisfied; and

(d) to the Bank transferring its rights and claims under such securities to the President, if so required by or on his behalf.

Witnesses:

1.————————————

2.————————————

Signature by the Authorised representative(s)of the Society (Name & Designation)

APPENDIX-I

Particulars to be furnished by the Cooperative Institution applying for working capital loan from financing bank under Central Government Guarantee Scheme. (To be based on the latest figure)

1. Name and full address of the Society.

2. Date of registration, alongwith date of commencement of operations.

3. (a)	Number of members	Amount of Share Capital (Rs. in lakhs)
1	2	3
(i) Individuals		
(ii) Societies/Institutions		
(iii) Government		
(iv) Total		

1	2	3

(b) Composition of Board of Directors.
  (i) Elected Members
  (ii) Nominated members
  (iii) Total

4. Borrowing Powers
  (i) Quote the number of Bye-laws/Rules of the Society regarding powers to borrow from the bank and the overall borrowing limits approved by the Registrar of Cooperative Societies.
  (ii) A certificate in writing from the management of the Society should be furnished indicating the borrowing limit of the society.

5. A resolution authorising the Office bearers of the Society to obtain loans and advances from the bank under Central Government Guarantee Scheme and also to sign the documents on behalf of the society in this respect should be passed by the Board of Directors/Committee of Management and a certified copy thereof should be attached with the application.
(indicate the names of the persons) (a proforma at Appendix-II)

6. Justification for cash credit limit applied for, which should inter-alia, contain information on following aspect:—

Sl. No.	Commodities/group of commodities handled by the society	Anticipated Annual Sales (Rs. in lakhs)	Stock turnover (Annual sales & opening stock—closing stock)

7. Particulars of credit facilities required.
  (a) Cash credit limit against:
    (i) Pledge of goods.
    (ii) Hypothecation of goods.
  (b) The period for which the advance is required.

8. Total owned funds and disposable part of owned funds. (as per proforma at Appendix-III)

9. No. of branches	In Rural areas	In slum areas and areas populated by by weaker sections	In other areas of of society
(i) Deptt. Stores			
(ii) Exclusive Fair Price Shop			
(iii) Others			
(iv) Total			

10. Sales during last three coop. years (Rs. in lakhs)

Year	Controlled Commodities	Non-controlled Commodities	Essential Items	Total
(i)				
(ii)				
(iii)				

11. Details of borrowings at the end of last Coop. Year

Agency	Purpose	Total Amount	Maximum borrowing during the year	Outstanding at the end of the year
1	2	3	4	5
(i) Government				
(a) For specific project				
(b) For Working Capital				

1	2	3	4	5
	(ii) From financing Banks			
	(iii) From other sources (Please Specify)			
	(iv) Total			

12. Last two audited balance sheets and proforma balance sheets for subsequent years till the end of the last cooperative year (A copy of the audited accounts, trading, profit and loss accounts and balance sheets to be attached) Indicate the authority who had audited the accounts.

13. Audit classification awarded by the Registrar.

14. If the store is currently running in loss, reasons therefor and details of the remedical measures adopted, along with the programme of action for improving the functioning and economic viability of the society (To be furnished in a separate note to be attached to this proforma).

15. Details of Guarantee facilities availed/Rehabilitation assistance received by the Institution till today

16. Reasons for failure to repay loans/instalments to financing bank. if any.

17. Details of Demand Draft paying 1% Guarantee Fee

Signature of the President/
General Manager Secretary of
the Society.

Appendix—II

Extract from the proceedings of the meeting of the Board of Directors held on————————

Agenda	Proceedings
To consider the proposal for obtaining a Cash credit/ hypothecation loan of Rs.————————from ————————Bank under the Central Government Guarantee Scheme and also to authorise the person/persons to sign the documents on behalf of the society in this regard.	It is resolved to apply to————————Bank for a cash credit limit against pledge/hypothecation of goods for Rs.————————for the period from————to————under Central Government Guarantee Scheme. It is further resolved that Shri————and Shri————————are authorised to enter into agreement and to sign and execute all necessary connection on behalf of the society for obtaining loan and sanction of Central Government Guarantee.

Appendix—III

Name of the Society

(Rs. in lakhs)

1. owned funds (A)
   (i) Share Capital
   (ii) Statutory Reserves
   (iii) Other reserve funds
   (iv) Total (A)

2. Investment (B)

(a) (i) Share in other Institutions

(ii) Fixed or other deposits (excluding reserve fund deposits).

(iii) Fixed Assets.

(iv) Reserve funds invested outside the business.

Total :

(b) Less loans and subsidies received for fixed Assets.

(c) Investment from owned funds (a—b) (B)
Net disposable part of owned funds (A—B)
Sales target fixed for the preceding year
Sales achieved during the year
Sales target proposed for the next year

Appendix—IV

SAMPLE RECOMMENDATION OF THE BANK

To

The Director (CFS)
Ministry of Civil Supplies, CA & PD.
Deptt. of Consumer Affairs & PDS,
Krishi Bhavan,
NEW DELHI

Subject : Sanction of cash credit limit for Rs.———— under the Central Government Guarantee Scheme to———— Federation/Society/Stores—Regarding.————

Sir,,

We are forwarding herewith a copy of the proposal for sanction of cash credit limit of Rs.———— under Central Government Guarantee Scheme received from————Society. The Bank has sanctioned a cash credit/hypothecation limit of Rs.————to the (Name of the Institution———— ————for period upto————on normal margins. The society will be allowed to avail the cash credit facilities against pledge and/or hypothecation of goods at 10% margin after the receipts of the Central Government Guarantee to us in favour of t he Society.

It is certified that the Society is repaying the loan instalments regularly and there is no complaint against the working of the society.

It is, therefore, requested that Government of India may please sanction Central Government Guarantee for a cash credit limit of Rs.————to (Name of the Institution)————for the period ending————.

Yours faithfully,
Manager/Agent

Appendix—V

Particulars to be furnished by the Registrar of Cooperative Societies while recommending Central Government Guarantee in favour of consumer cooperatives.

(Rs. in lakhs)

1. Name of the Society

2. Working Results for the last four years.

Year	Sales	Net profit/Net loss

3. Position of Audit :

   (a) The period upto which the accounts of the institution have been audited.

   (b) If audit is not upto date, steps taken/proposed to be taken for ensuring completion of pending audit.

4. Inspection

   (a) Date on which the Society was last inspected by officers of the Government.

   (b) Shortcomings, if any noticed in the working of the Store

   (c) Steps taken to remedy the shortcomings.

5. Recommendation of the State Government specifying the extent of cash credit limit and the period for which guarantee may be given.

6. Indicate whether the quarterly progress reports are being submitted regularly.

Registrar Cooperative Societies

N.B. In absence of specific recommendations the propoal maynot be agreed to.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996